न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 301/2022 दायर दिनाँक 22.07.2022

वादी		प्रतिवादी
1. धीराराम बलारा दत्तक पुत्र हरीराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 514 रकबा 3.06 बीघा बारानी अलीफ वाके मौलासर वादी के पिता हरीराम पुत्र सुरताराम, जाति जाट, निवासी मौलासर की रही है, जिसका उल्लेख खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त सम्वत् 2040 में है तथा सम्वत् 2041 में उक्त भूमि पर काश्त 16 बिस्वा में तुलछाराम पुत्र सुरताराम तथा 10 बिस्वा में रूपाराम पुत्र सुरताराम, 10 बिस्वा में हरीराम पुत्र सुरताराम, 10 बिस्वा में गोविन्दराम पुत्र सुरताराम, 10 बिस्वा पर रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम व 10 बिस्वा में वादी की काश्त दर्ज हुयी, जिसका उल्लेख है, जिसकी नकलें साथ में पेश है। उक्त खसरा संख्या 514 के खातेदार हरिराम की मृत्यु होने पर उसके पुत्र धीराराम के नाम से, रूपाराम की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर हजारीराम, तुलछाराम की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर मूलाराम, मोहनराम, रामचन्द्र व पतासी बेवा वासुदेव के नाम से तथा हजारीराम द्वारा बेचाण करने से अपना हिंस्सा 5 बिस्वा बेचाण करने से सांवरमल पुत्र रामूराम की खातेदारी दर्ज हो गयी तथा उक्त भूमि में से खसरा संख्या 514/1 रकबा 5 बिस्वा तुलछाराम के नाम से खातेदारी, खसरा संख्या 514/2 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम के नाम खसरा संख्या 514/3 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी गोविन्दराम पुत्र सुरताराम, खसरा संख्या 514/4 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी रूपाराम पुत्र सुरताराम के नाम से दर्ज हुयी, तथा खसरा संख्या 514/5 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी हरिराम पुत्र सुरताराम के नाम दर्ज हुयी तथा खसरा संख्या 514/6 रकबा 5 बिस्वा की खातेदारी वादी धीराराम के नाम दर्ज हो गयी, उक्त लोगो के नाम से नियमन तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्र क्रमांक/राज/115 दिनॉक 03.02.1999 के द्वारा किया गया था, जिनका उल्लेख जमाबंदी संम्वत् 2056 से 2059 में है, खसरा संख्या 514/5 रकबा 5 बिस्वा वादी धीराराम ने भंवरलाल पुत्र हनुमानाराम जाट निवासी खोखरो का बास को वर्ष 2002 में बेचाण कर दी, तथा खसरा संख्या 514/6 रकबा 5 बीस्वा में से वादी ने 1466 वर्ग फुट भूमि का भी बेचाण भंवरलाल को कर दिया, तथा इसी प्रकार खसरा संख्या 514/1 रकबा 5 बिस्वा व खसरा संख्या 514/2 रकबा 5 बिस्वा में से मोहनराम ने उक्त भंवरलाल को बेचाण कर दिया। इस प्रकार खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियों पर वादी के परिवारवालो का कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है। वादी द्वारा भंवरलाल को जमीन विक्रय करने के पश्चात उक्त खसरा संख्या 514 में से 2.10 बीघा जमीन कब्जा काश्त में रही, इस 2.10 बीघा बाबत श्रीमान तहसीदार डीडवाना ने धारा 91 एल0 आर0 एक्ट0 के तहत दिनॉक 31.08.1996 को दिया, जिसकी सुनवाई श्रीमान [illegible] हुयी, तथा सुनवाई में वादी ने हाजिर अदालत होकर जबाब पेश कर निवे[illegible] मेरा कब्जा 30–35 वर्ष पुराना है तथा यह भी बताया कि मेरे पिता [illegible] ही लगातार चला आ रहा है। तथा वादी ने [illegible] गवाहो के बयान करवाये, तथा खसरा गिरदावरी [illegible] प्रतियां सम्वत् 2010 से 2047 व सम्वत् 2023 से 2042 तक की पेश की, उक्त [illegible]म दस्तावेजात के आधार पर नियमानुसार सुनवाई कर तहसीलदार डीडवाना ने उक्त 2.10 बीघा भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

नियमन वादी के पक्ष में दिनॉक 27.12.1996 को कर दिया, तथा उक्त भूमि के नियमन/आंवटन करने की सिफारिस के साथ निर्णय की प्रति श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित करने का आदेश पारित किया तथा इस आदेश की प्रति श्रीमान उपखण्ड अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही के लिये पेश कर दी लेकिन अब जानकारी हुयी है कि उस आदेश के आधार पर वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं हुयी। उक्त खसरा संख्या 514 में से शेष बची भूमि के नये खसरा संख्या 1440 रकबा 0.1300 हैक्टर व खसरा संख्या 1446/1936 रकबा 0.1600 हैक्टर राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज हो गये, जबकि उक्त दोनो खसरान की खातेदारी नियमानुसार वादी के नाम से ही दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने सहव से शेष बची भूमि खसरा संख्या 1440 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 1446/1936 रकबा 0.1600 हैक्टर की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम से दर्ज हो गयी, जिसकी दुरूस्ती की जानी कानूनन जरूरी है। उक्त खसरा संख्या 1440 व 1446/1936 की भूमि पर अपने बाप दादाओं के समय से ही कब्जा काश्त अबाध रूप से चला आ रहा है तथा इस भूमि के चारो और तारबंदी की हुयी है तथा वर्तमान में भी वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी उक्त भूमि की खातेदारी का गलत अंकन राजस्थान सरकार की जगह अपने नाम से खातेदारी करवाने का कानूनन व जायज हकदार है। वादी की कब्जा काश्त की पैतृक भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस हेतु उनके खिलाफ वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, जिसका की वह कानूनन हकदार है। दावा इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का है, तथा अन्दर मयाद है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में आदेश 18 नियम 04 सी0 पी0 सी0 का शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल मिशल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 1440 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 1446/1936 रकबा 0.1600 हैक्टर वाके मौलासर की खातेदारी में से राजस्थान सरकार के गलत अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह वादी के नाम से खातेदारी घोषित की जावें। वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक **25.07.2022** को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:51 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 301/2022 दायर दिनाँक 22.07.2022

वादी

1. धीराराम बलारा दत्तक पुत्र हरीराम, जाति जाट, निवासी मौलासर, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादी

1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

दिनाँक **25.07.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा संख्या 1440 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा संख्या 1446/1936 रकबा 0.1600 हैक्टर वाके मौलासर की खातेदारी में से राजस्थान सरकार के गलत अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह वादी के नाम से खातेदारी घोषित की जावें। वादी को स्वतंत्र खातेदार व काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगी।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **25.07.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो किसी अदालती कर्मचारी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:59:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner